

FORM III  
फॉर्म अहकाम,  
(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टॉक)

मोरपाली केवा रामपुल मी वनाम तहसीलदरम अहकाम  
किरम मुकदमा... नम्बर 79 सन्..20 16

| तारीख हुकम       | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------------|--|--|
| <p>29-6-2016</p> | <p>प्रार्थी घन्नील के द्वारा प्राप्ता धारा 136 के अन्तर्गत अहकाम के तहत प्रस्तुत करने पर रिपोर्ट साबित की जाकर इस अहकाम के अन्तर्गत कर देरोकार करवा के जवाब लिखित गवाही प्रस्तुत पत्रों के अन्तर्गत गवाही/पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। नकल जमावती समेत 2011-2014 अहकाम देवली, खाला संख्या 198 के मोरपाली केवा धन्ना कोष मीना का डेह अहकाम देवली संख्या 336 के दरजी, जमानलाल देवीलाल पुत्र रामपुल, सोरार धोली पुत्र रामपुल, मोरपाली केवा रामपुल 1/2 कि करार, मोरपाली केवा धन्ना 1/2 कोष मीना का डेह अहकाम देवली संख्या 336 के अन्तर्गत गवाही पत्रावली देवली द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अन्तर्गत मोरपाली केवा धन्ना व मोरपाली केवा रामपुल एक ही व्यक्ति हैं।</p> <p>देरोकार करवा के जवाब के अन्तर्गत भी यदि प्रार्थी के पत्रों का अन्तर्गत धन्ना के अन्तर्गत रामपुल किया जाता है तो राज्य दित प्रमाणित नहीं होता है।</p> |  |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
उनियारा

उपरोक्त विवेकानंद शिवालय

कोक भद्रा जल न्याय आयोग द्वारा की गयी  
की मध्यम नज़र रखते हुए उपरोक्त का  
प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाना उचित है

इस प्रमाण पत्र का आर्थिक

स्वीकार किया जाना तद्विषयक उचित

की उपरोक्त किया जाता है कि के साथ

संख्या 198 व 336 नंके गुणदेवली

के दर्ज मोरपाली केका धरणा के स्थान

पर मोरपाली ध.प. स्व. ~~रासूल~~ रासूल

दर्ज कर राजस्व रेकार्ड का इकाय

को पालना हेतु तद्विषयक उचित

की किया जावे। पत्रावली फलतः

दोम नकल कि का है तथा दफ्तर

दाखिल है।

उप खण्ड अधिकारी  
उनियारा